

खबर संक्षेप

चेक बाउंस के मामले में 4 महीने की सजा

अंबाला। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने अंबाला छावनी निवासी ताराचंद को चार महीने कैद की सजा सुनाई है। हालांकि ताराचंद की ऊपरी अदालत से जमानत हो गई। जानकारी अनुसार ताराचंद ने इंडसैंड बैंक से टाटा एस गाड़ी के लिए लोन लिया था। लोन की किस्ते जमानत करवाने पर बैंक ने ताराचंद की गाड़ी की रिकवरी कर ली थी और उसके बाद बैंक ने ताराचंद से बाकी के 75 हजार रुपये लेने थे, जिसके लिए ताराचंद ने बैंक को 75 हजार रुपये का चेक दिया था। यह चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद बैंक ने ताराचंद के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था। अब अदालत ने ताराचंद को चार महीने की कैद की सजा व 75 हजार रुपये जुमाना अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत में बैंक की ओर लीगल मैनेजर अर्जुन वोहरा की गवाही हुई थी।

ससुरालियों ने कराया गर्भपात का केस दर्ज रेवाड़ी। महिला थाना पुलिस ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता का जबरन गर्भपात कराने वाले ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस को दी शिकायत में धारूहेड़ा वार्ड नंबर-8 निवासी विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी पटौदी निवासी संजय के साथ वर्ष 2015 में हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान किया जा रहा था। कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दी। हद तो तब हो गई जब ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसका जबरन गर्भपात करा दिया। महिला थाना पुलिस ने आरोपित ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

ओटीपी पूछ खाते से निकाले 47 हजार रुपये बराड़ा। ठगों ने बैंक कर्मचारी बनकर पीड़ित को एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए फोन किया और फोन पर आए ओटीपी

यूपी से बेचने ए

गाड़ियों में दो ह

- पुलिस की कार्रवाई से अधिकारियों व आड़तियों में हड़कंप मच गया
- कमेटी की अनुमति के बिना स्टॉक करने पर 15 हजार की पेनल्टी लगाई गई

हरिभूमि न्यूज ▶ कोसली

उत्तर प्रदेश के मथुरा से सस्ते भाव बाजरा खरीदकर कोसली की बाजार में बेचने के प्रयास में कोसली पुलिस ने गांव भाकली गांव के लंदे दो ट्रक व एक ट्रैक्टर-ट्राली बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में चार व्यक्तियों को भी पकड़ लिए हिरासत में लिया है। पुलिस इस कार्रवाई से अधिकारियों से आड़तियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बताया कि व्यापारी खुले बाजार में बेचने के लिए बाजरे का स्टॉक रहे थे। लेकिन मार्केट कमेटी अनुमति के बिना स्टॉक करने

राज्यपाल आर्य से मि



में मिला मोबाइल आरी के ब्लेड, केस

- सामान पुलिस लाइन की तरफ से फेंके जाने की संभावना जताई

अंदर कुछ फेंका गया है। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। उसके बाद रात को रही जांच की। जांच में के दौरान महिला वार्ड के पास कोने में खाकी रंग की टेप में लिपटा हुआ एक पैकेट बरामद हुआ। पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें काले रंग का मोबाइल फोन, सिम, बैटरी तथा, पांच-पांच इंच के दो टुकड़ों में अखबार के अंदर लिपटे आरी के ब्लेड मिले। मामले की शिकायत शहर थाना पुलिस को दी। थाना प्रभारी सत्यवान ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस सामान फेंकने वाले तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

न न मिलने पर दी करने की चेतावनी

यूनियन की ओर से सरकार द्वारा अक्टूबर महीने कावेतन रोकने के थकाने कहा कि सिर्फ खाली खजाने का टिंदोरा पीटकर लोगों पर टैक्सों का सफ विधायकों की पेशन बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। दूसरी तरफ कर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। वहीं पंजाब के वित्तमंत्री और असफलता पर भी कि वित्तमंत्री के खजाने में आं ने मांग की सरकार जारी करे नहीं तो अगले इस मौके पर जिला प्रधान लेजिस्लर सिंह, प्रदेश कमेटी सेक्टर, एसएसए रमसा से केडर यूनियन से विकास, प्रेश प्रधान जगसीर सहोता, 78 मास्टर केडर यूनियन नियुक्त इंटीटी अध्यापक व कंप्यूटर टीचर यूनियन प्रस्थित थे।

गा व्याख्यान (महेंद्रगढ़)। विसिटी आफ हरियाणा में से नई शिक्षा नीति पर श्रेष्ठ व्याख्यान श्रृंखला की होगी। हरियाणा केंद्रीय विवि के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य में अनुसंधान में लचीन को अपजाने के लिए

स्काईवेब इंफोटेक लिमिटेड

CIN : L72200DL1985PLC019763
पंजीकृत कार्यालय : के-20, द्वितीय तल, लाजपत नगर, भाग-2, नई दिल्ली-110024
कार्यालय : प्लॉट नं. 2ए, प्रथम तल, सेक्टर-126, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
फोन : 0120-6721900
E-mail : info@skywebindia.in

सूचना

सेबी (लिसिंग ऑब्लिगेशंस एवं घोषणा अपेक्षाएं) नियमों, 2015 के नियमन 47 के साथ पठित नियमन 29(1)(ए) के तहत एनड द्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के अलावा 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अंशकालित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर 2019 को आयोजित की जाएगी।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.skywebindia.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.mseil.in पर देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेशानुसार स्काईवेब इंफोटेक लिमिटेड हस्ता/-
अमित महाजन
कम्पनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी
सदस्यता नं. 24167

स्थान : नोएडा (यूपी.)
दिनांक : 02.11.2019

विज्ञापन

जल्दने की घटनाओं एवं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए

